11/814 पत्रावली प्रार्थीगण अभ्यीकेती के विलम्ब तथा के देश किये जाने पर आकुल हुई। प्रार्थीगण ने आवेदन पत्र पर निवेदन किया कि वादकरण के मध्य लोक अदालत की मार्फत से राजीनामा हो चुका है अतः आगे कार्यवाही नहीं चाहती है निस्तारित किये जाने के आदेश प्रदान करावें। प्रार्थीगण की पहचान अधिवक्ता प्रार्थीगण श्री नंदलाल चामल द्वारा की गई। अतः प्रार्थीगण के निवेदन पर आवेदन पत्र आज कोर्ट फीस किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। अग्रिम फैसला शुभ्रा हेतु नंबर से कर दी जावे।

LTA
अभ्यीकेती

प०ग०

उपखण्ड अधिकारी
दांतारामगढ़

एड. (नंदलाल चामल)